

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 439 / 14-1  
सेवा में,

रामपुर,

दिनांक :

14 अगस्त 2017

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,  
मुरादाबाद।

विषय :- मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा जनपद रामपुर में स्वार-बिलासपुर रोड किमी० 13.00 की बांयी पटरी पर गाटा सं० 132, ग्राम मेंहदीनगर में पेट्रोल/डीज़ल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित 0.064148 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्ष खजूर के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/27293/2017 dated 04-08-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा जनपद रामपुर में स्वार-बिलासपुर रोड किमी० 13.00 की बांयी पटरी पर गाटा सं० 132, ग्राम मेंहदीनगर में पेट्रोल/डीज़ल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित 0.064148 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्ष खजूर के पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा - 2 के अन्तर्गत 0.064148 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्ष खजूर के पातन की अनुमति के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. एरिया सेल्स ऑफिसर (रिटेल) बरेली, मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्वार।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।